कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 17.06.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-23 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना नवाबगंज ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सरजू पुत्र पितई ग्राम हजियापुर गनेशपुर ग्रन्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-164/22 धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामजग पुत्र गोमती सिंह निवासी मैकापुरवा पकवानगांव थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-104/22 धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. ननका पत्नी स्वामीनाथ निवासी दलपतपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-168/22 धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक शुक्रवार परेड का किया निरीक्षण, जुमें की नमाज़ के दृष्टिगत अराजक तत्वों/उपद्रवियों से निपटने के लिए जवानों से अश्रु गैस, ग्रेनेड, रबड़ बुलेट, मिर्ची बम व अन्य दंगा नियंत्रण उपकरण के बारे में दी जानकारी, बलवा ड्रिल का अभ्यास तथा बलवाइयों से निपटने हेतु दिए आवश्यक दिशा निर्देशः-

आज दिनांक 17.06.2022 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली तथा परेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात पुलिस अधीक्षक ने शारीरिक दक्षता विकसित करने हेतु परेड को दौड़ लगवाई। परेड में एकरूपता व अनुशासन बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल करवाई तथा जवानों को शारीरिक रूप से फिट रहने का संदेश दिया तथा जवानों को विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम भी करवाया। पुलिस अधीक्षक ने जुमें की नमाज़ के दृष्टिगत प्र0नि0/थानाध्यक्षों/महिला आरक्षियों समेत समस्त पुलिस कर्मियों को अराजक तत्वों/उपद्रवियों से निपटने के लिए अश्रु गैस, ग्रेनेड, रबड बुलेट, मिर्ची बम, एण्टीराइट गन व अन्य दंगा नियंत्रण उपकरण के बारे में जानकारी दी गयी। बलवा ड्रिल का अभ्यास व उपद्रवियों/बलवाईयों से निपटने व भीड़ नियन्त्रण हेतु रस्साकस्सी/शक्ति प्रदर्शन का अभ्यास करवाया तथा बलवाईयों से निपटने के बारे में टिप्स भी दिए साथ ही जवानो को फील्डक्राप्ट के बारे में जानकारी देते हुए फील्डक्राप्ट का भी अभ्यास करवाया गया तथा जुमें की नमाज़ को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु समस्त अधि0/कर्मचारीगणों को ब्रीफ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक, वाचक पुलिस अधीक्षक, परिवहन शाखा प्रभारी कई थाने के प्र0नि0/थानाध्यक्ष व अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

प्रेस - नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 17.06.2022

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त अमिर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध कट्टा 12 बोर मय 01 अदद कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कटराबाजार में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अमिर पुत्र कल्लू उर्फ शकील निवासी सोनबरसा थाना कैसरगंज जनपद बहराईच।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-190/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध कट्टा 12 बोर व 01 अदद अवैध कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 सभाजीत सिंह मय टीम।

<u>सराहनीय प्रेस नोट</u>

<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>

<u>दिनांक 17.06.2022</u>

<u>गैगेस्टर एक्ट का वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुरस्कार घोषित/गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे। जिसके क्रम में थाना खरगूपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनाकं 17.06.2022 को थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त राहुल तिवारी पुत्र संगमलाल तिवारी निवासी भवानीपुर राजापुर परसौरा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्त थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0स0 200/22 धारा 3(1)यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट में वाछिंत था। अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

01. राहुल तिवारी पुत्र संगमलाल तिवारी निवासी भवानीपुर राजापुर परसौरा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा

<u>अभियोग-</u>

01 मु0अ0स0 183/22 धारा 3(1)यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना को0नगर, जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम-</u>

01. उ0नि0 चन्द्रभूषण पाण्डेय मय टीम

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अग्निपथ योजना के दृष्टिगत कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु रेलवे स्टेशन गोण्डा का किया निरीक्षण, सम्बन्धित अधिकारियोंकर्मचारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश/ः-

आज दिनाकं 17.06.2022 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अग्निपथ योजना के दृष्टीगत जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु रेलवे स्टेशन गोण्डा का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा यात्रियों, बच्चो, छात्रों व युवाओं से संवाद कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं से अपील भी किया कि कृपया जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें,अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए उपद्रवअशांति न फैलाएं/। तत्पश्चात् गोंडा जंक्शन के सीसीटीवी कक्ष का निरीक्षण कर संबंधित को सतर्क दृष्टि रखते हुए निगरानी करने के निर्देश दिए तथा कंट्रोल रूम /दंगा नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था में लगे आरपीएफ व जीआरपी के अधिकारियों/ कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में जुमें की नमाज जनपद गोंडा में सकुशल सम्पन्न, चप्पे-चप्पे पर रही पुलिस की नजर-

पुलिस सोशल मीडिया सेल लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म, twitter, facebook व व्हाट्सएप ग्रुप पर पैनी नजर-

आज दिनांक 17.06.2022 को जुमें की नमाज़ से पूर्व पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत शहर क्षेत्र का भ्रमण कर, जुम्मे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी में लगे पुलिस बल को चेक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन व दिए गए दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप पुलिस सोशल मीडिया सेल द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म, twitter, facebook व व्हाट्सएप ग्रुप पर निरंतर निगरानी की जा रही है। यदि किसी भी प्रकार की सोशल प्लेटफार्म पर अराजकता फैलाई जाएगी तो तत्काल कार्यवाही कराई जाएगी। पुलिस बल द्वारा सजगता व सतर्कता पूर्वक मुस्तैद रहकर व चप्पे-चप्पे पर ड्रोन कैमरे से भी सतर्क नजर बनाए रखते हुए जनपद गोंडा में जुमें की नमाज़ को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया।

सराहनीय प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 17.06.2022

नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त हबीब को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 44 टेबलेट अल्प्राजोल बरामद किया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कटराबाजार में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. हसीब पुत्र जलील निवासी ग्रा0 मलौना भगत पुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोंडा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-191/22, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. अल्प्राजोलम की 44 टेबलेट।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 अभिषेक मिश्रा मय टीम।